कार्यालय ग्राम पंचायत खारड़ा रणधीर, पं.स. लूणी
जिला जोधपुर, राजस्थान

श्रीमती भंवरी
सरपंच

निवास :
मरूधर नगर मेघवालो का बास, खारड़ा रणधीर
मो. 8619732277, 9462868338

जोधपुर विकास प्राधिकरण
क्रमांक 5JB36
दिनांक 11/1/23
शाखा/जोन D C-2
आयुक्त
12/1/2023
★ जोधपुर ★

क्रमांक slu 3 दिनांक : 15-01-2023

सेवामें,

श्रीयुत आयुक्त / उपायुक्त महोदय (जोन-प्रथम)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर.

28
13/1/23

विषयः- रा० प्रा०वि० मरुधरनगर (खारड़ा रणधीर) हेतु खसरा न० 107 गैरमु० गोचर में 100' X 80' फुट भूमि आवंटन करने बाबत।

मान्यवरजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सादर निवेदन है कि तत्कालीन ग्राम पंचायत फिटकासनी तथा ग्राम विकास समिति खारड़ा रणधीर के द्वारा राजस्व ग्राम खारड़ा-रणधीर के अधीनस्थ सन 2002 से रा०प्रा०वि० मरुधरनगर संचालित है। जो कि सन 1979 मे आई बाढ़ के बाद प्रशासन द्वारा राज्य सरकार के निर्देशानुसार बाढ़-पीड़ितो को भूखण्ड देकर बसाया गया। उक्त खसरा को आबादी में करने की कार्यवाही पूर्व ग्राम पंचायत झालामण्ड द्वारा करने पर सन 1981-82 में 5, बीघा भूमि इस खसरे में आवंटित की गई। शेष भूमि के लिए आबादी व नियमन करने की कार्यवाही ग्राम पंचायत तथा ग्रामीणो द्वारा की जा रही है।

रा०प्रा०वि० मरुधरनगर के लिए भूमि आवंटन हेतु विगत करीबन तीन वर्षों से कार्यवाही की जा रही है। इसके अन्तर्गत पूर्व ग्राम पंचायत फिटकासनी के प्रस्तावित प्रस्ताव, ग्राम विकास समिति खारड़ा रणधीर के द्वारा स्थानीय विधायक महोदय लूणी के ~~विधायक~~ अभिशंषा पत्र, प्रधानाध्यापक व जिला शिक्षा अधिकारी जोधपुर के द्वारा निर्धारित प्रपत्र- स, तथा प्रोजेक्ट रिपोर्ट देने के उपरान्त अभी तक विद्यालय हेतु भूमि आवंटित नही हो सकी। जबकि गत वर्ष प्रशासन गांवो के संग अभियान दिनांक 8-12-2021 को पुनः प्रस्ताव व प्रार्थना-पत्र प्रेषित किए गये।

अतः आप कृपा करके रा०प्रा०वि० मरुधरनगर (खारड़ा रणधीर) जोधपुर के लिए भूमि आवंटन करने में सहयोग प्रदान करने की अनुकम्पा करे।
संलग्न- पूर्व मे की गई कार्यवाही की फोटो प्रतियाँ।

भवदीय
भंवरी
सरपंच
ग्राम पंचायत-खारड़ा रणधीर
पंचायत समिति, लूणी (जोधपुर)

ग्राम पंचायत फिटकासनी, पंचायत समिति लूणी
जिला-जोधपुर (राजस्थान)

निवास : गोरधन बिश्नोई
फिटकासनी, जोधपुर (राज.)

सरपंच
संग्रामसिंह बिश्नोई
M. 98291 71824

दिनांक 27.08.019

क्रमांक

सेवामें,
श्रीमान प्रभारी अधिकारी
महात्मा गांधी ग्रामोत्थान शिविर
कैम्प- फिटकासनी, जोधपुर

विषय:- रा० प्रा० वि० मरुधर नगर (खारडा रणधीर) हेतु खसरा नं० 137 में मुख्योचर में 100'x 80' फुट भूमि आवंटित करने बाबत।

मान्यवर जी,
उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम पंचायत फिटकासनी के अधीनस्थ राजस्व ग्राम खारडा रणधीर में मरुधर नगर वास स्थान के शिक्षण व्यवस्था हेतु सन 2002 से प्राथमिक विद्यालय सन्चालित है तथा सन 2006-2007 में भवन के लिए तीन कक्षा-कक्ष, प्रधानाध्यापक कक्ष, मिड-डे-मिल के लिए रसोईघर तथा चार-दीवारी का निर्माण ग्राम पंचायत एवं विद्यालय प्रबन्धन समिति के माध्यम से बनाए हुए है। लेकिन अभी तक विद्यालय भवन व परिसर की भूमि आवंटित नहीं होने से विद्यालय का पट्टा नहीं बन पाया है।

इसके लिए पूर्व में कई बार प्रशासन से लिखित में आग्रह कराने के उपरान्त भूमि का आवंटन नहीं हो सका है। सो आपसे अनुरोध है कि ग्राम पंचायत फिटकासनी की बैठक दिनांक के प्रस्ताव संख्या के द्वारा जनभावना को मद्दयनजर रखते हुए जोधपुर विकास प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन के माध्यम से विद्यालय के लिए 100'x 80' फुट भूमि को आवंटित कराने का कष्ट करे।

भवदीय

सरपंच
ग्राम पंचायत, फिटकासनी
पं. स. लूणी (जोधपुर)

ग्राम ...
ग्राम पंचाय...
पं. स. लूणी (जोधपुर)

प्रस्ताव संख्या-04 दिनांक

विषय:- रा० प्रा०वि० मरुधरनगर (खारड़ा रणधीर) के लिए भूमि आवंटित करने बाबत।

ग्राम पंचायत फिटकासनी की बैठक दिनांक 05.03.019 के प्रस्तावित प्रस्ताव संख्या-04 के द्वारा वार्डपंच श्री [illegible] ने अवगत कराया कि राजस्व ग्राम खारड़ा रणधीर में सन् 1979 में आई बाढ़ के बाद खसरा नं० 107 गै०मु० गोचर में राज्य सरकार के निर्देशानुसार विस्थापित नई बस्ती मरुधरनगर में शिक्षा व्यवस्था के अन्तर्गत सन् 2002 से सरकारी प्राथमिक विद्यालय संचालित हो रहा है। सन् 2006-07 मे विद्यालय भवन, तथा चार-दीवारी का निर्माण 100'×80' में सरकार द्वारा कराया गया। लेकिन अभी तक विद्यालय हेतु भूमि आवंटित नहीं होने से पट्टा नहीं बन पाया है। इसके लिए पूर्व में भी कई बार प्रयास किया जा चुका है लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो सकी।

इस पर विचार-विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मरुधरनगर विद्यालय हेतु भूमि आवंटन के लिए जिला प्रशासन तथा जोधपुर विकास प्राधिकरण से कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

सत्यापित प्रतिलिपि

सही -
सरपंच
ग्राम पंचायत फिटकासनी
प० स० लूणी, जोधपुर

[signature]
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत फिटकासनी
पं. स. लूणी (जोधपुर)

[signature]
सरपंच
ग्राम पंचायत, फिटकासनी
पं. स. लूनी (जोधपुर)

ग्राम विकास समिति, खारड़ा रणधीर

पंचायत समिति लूनी, जिला - जोधपुर

क्रमांक 46

दिनांक 25.9.19

सेवामें,

श्रीमान् महेन्द्रजी बिश्नोई,
विधायक महोदय,
विधान सभा क्षेत्र- लूणी, जोधपुर

विषय:- रा० प्रा० वि० मरुधरनगर, खारड़ा रणधीर हेतु खसरा नं०-107 गैर मु० गोचर में 100' X 80' फुट भूमि JDA से आवंटित करने बाबत

मान्यवरजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि सन् 1979 में आई बाढ़ के बाद विशेष पुनर्वास योजना के अन्तर्गत विस्थापि नई बस्ती - मरुधरनगर खारड़ा रणधीर में शिक्षण व्यवस्था हेतु सन् 2002 में राजीवगांधी पाठशाला - तत्पश्चात् राजकीय प्राथमि विद्यालय मरुधरनगर संचालित है। इसका भवन सन् 2006-0 में सर्व शिक्षा कार्यक्रम के द्वारा निर्माण कराया गया। वर्तमान में इस विद्यालय में तीन कक्षा - कक्ष, प्रधानाध्यापक कक्ष, रसोई पेयजल हेतु टांका, शौचालय (छात्र - छात्रा) तथा चार-दीवा का निर्माण होने के उपरान्त भूमि आवंटित नही होने से विद्यालय का पट्टा नही बन पाया है। इस बाबत पूर्व मे कई बार कार्यवाही करने के बावजूद भूमि आवंटित नही से बड़ी विकट समस्या बनी हुई है। जबकि इस खसरे से 5 बीघा भूमि सन् 1981-82 में आबादी में करान हो चुक

अतः आपसे अनुरोध है कि ग्राम पंचायत फिटकासनी की बैठक दिनांक 05-03-2019 के प्रस्ताव संख्या-04 की सत्यापित - प्रतिलिपि तथा श्रीमान् प्रभारी अधिकारी, महात्मा गाँधी ग्रामोत्थान शिविर कैम्प फिटकासनी जोधपुर को प्रार्थना-पत्र दिनांक 27-08-2019 को दिए गए पत्र की प्रति संलग्न करते हुए आग्रह है कि आप व्यक्तिगत रु लेकर उक्त समस्या का समाधान JDA जोधपुर के श्रीमान् आयुक्त महोदय से भूमि आवंटित कराने की अभिशंषा कर, सभी ग्रामीणो को अनुग्रहित करें।

संलग्न - छाया प्रतियां (3)

भवदीय

(जेठू सिंह राठौड़)
संयोजक
ग्राम पंचायत स्तरीय विकास एवं संघर्ष समिति
फिटकासनी, पं० स० लूनी, जोधपुर

देवाराम
(देवा राम बिश्नोई)
अध्यक्ष
ग्राम विकास समिति
खारड़ा रणधीर (जोधपुर)

महेन्द्र विश्नोई
विधायक, लूणी

राजस्थान सरकार

Mob.: 9829025325
E-mail : mahenbishnoi@gmail.com

क्रमांक SPL-2 दिनांक 9/10/19

श्रीमान् आयुक्त
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

विषय:- रा० प्रा० वि० मरुधर नगर, खारड़ा रणधीर के लिये भूमि आवंटन बाबत्।

महोदयजी, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि रा० प्रा० वि० मरुधर नगर, खारड़ा रणधीर पं० स० लूणी के भवन हेतु खसरा नं. 107 गैर मु० गोचर भूमि मे 150 X 80 फीट भूमि आवंटन करवाने की अनुशंषा की जाती है। कार्यवाही कर अनुग्रहित करावें।

भवदीय

(महेन्द्र विश्नोई)

"राम भवन" 5, रातानाडा विस्तार योजना, जोधपुर (राजस्थान) - 342001

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा, जोधपुर

दिनांकः– 04.02.2020

क्रमांक : जिशिअ / मुख्या / प्राशि / जोधपुर / सामान्य / 2020 / 320

प्रेषित,

श्रीमान सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर (राज.)

विषय : निर्मित एव संचालित राजकीय प्राथमिक विद्यालय मरूधर नगर खारड़ा रणधीर के लिए भूमि आंवटन बाबत।

संदर्भ : आपके कार्यालय के पत्र कमांक एफ–46 / आवंटन / (पूर्व) 2019 / 1087 दिनांक 17.12.2019 के कम में।

महोदय,

प्रधानाध्यापक राउप्रावि खारडा रणधीर व प्रधानाध्यापक राप्रावि मरूधर नगर खारडा रणधीर के द्वारा निवेदन के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक(मुख्यालय) द्वारा उपर्युक्त विषयान्तर्गत आवंटन नीति 2015 के तहत उपलब्ध कराये गये प्रारूप प्रपत्र– विद्यालयवार समस्त बिन्दुवार की पूर्ति कर अग्रिम कार्यवाही हेतु शिक्षा विभाग के माध्यम से आपके कार्यालय को प्रेषित किया जा रहा हैं।

संलग्नः

1. प्रपत्र–स , राप्रावि मरूधर नगर खारडा रणधीर जोधपुर शहर

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा ,जोधपुर
दिनांकः–..................

क्रमांक : जिशिअ / मुख्या / प्राशि / जोधपुर / सामान्य / 2020 /

प्रतिलिपिः

1. संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा जोधपुर।
2. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी स्कूल शिक्षा जोधपुर
3. रक्षक पंजिका

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा जोधपुर

<u>प्रपत्र –स</u>

<u>सरकारी विभागों / स्वायत्तशासी संस्थाओं / निगमो को भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना–पत्र</u>

1. विभाग / संगठन का नाम — शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार
2. प्रार्थी का नाम व पदनाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) — प्रधानाध्यापक / [illegible]
3. डाक पता, टेलिफोन नं. मोबाईल नं. व मेल आई.डी. — रा०प्रा०वि० मरुधर नगर खारडा [illegible] जोधपुर
4. भूमि आवंटन का उद्देश्य — पढ़ाई [illegible] प्राप्त करना
5. चाँहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो) — 100 × 80
6. भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर मे) — खसरा संख्या 107 में गोचर
7. प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान, अनुमानित निवेश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभो बाबत संक्षिप्त विवरण) — 100' X 80'
8. संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजः–
   - (I) प्रोजेक्ट के बाबत प्रशासनिक निर्णय की प्रतिः–
   - (II) चाही गई भूमि बाबत विभागीय मानक (Norms):--
   - (III) वित्तीय स्वीकृति / बजट प्रावधान का विवरणः--
   - (IV) प्रोजेक्ट रिपोर्ट (चाही गई भूमि पर बनने वाले प्रोजेक्ट बाबत मुख्य विवरण)

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य है व कुछ भी नही छुपाया गया है। संस्थान / कम्पनी / आवेदनकर्ता आवंटन की शर्तो / निर्देशों व उप–विधियो आदि की समस्त शर्तो की पूर्णतः पालना करेगा। शर्तो की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांकः– ....

स्थानः– ....

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
नाम व पद

प्रोजेक्ट रिपोर्ट

राजकीय प्राथमिक विद्यालय मरूधर नगर (खारड़ा रणधीर) ग्राम पंचायत फिटकासनी प. स. लूणी, जोधपुर सत्र् 2006–07 से भू–भाग खसरा संख्या 107 गैर मुमकिन गौचर भूमि पर निर्मित व संचालित है। राज्य सरकार के निर्देशानूसार शिक्षा विभाग की निर्मित व संचालित सम्पतियो का विद्यालय के नाम भुमि का विधिवत आवंटन एवं पट्टे अभिलेख की प्रक्रिया के तहत् ग्राम पंचायत फिटकासनी द्वारा प्रस्ताव संख्या 4/05.03.2019 द्वारा महात्मा गांधी ग्रामोत्थान शिविर केम्प में प्रस्ताव पारित किया गया। उपर्युक्त भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत आने के कारण माननीय विधायक महोदय लूणी श्रीमान महेन्द्र विश्नोई द्वारा सचिव महोदय जोधपुर विकास प्राधिकरण को इस सन्दर्भ में दिनांक 09.10.2019 को पत्र लिखकर भूमि आवंटन एवं पट्टा प्रक्रिया हेतु लिखा गया था। सन् 1979 में आई बाढ़ के पश्चात विस्थापित (नईबस्ती) मरूधरनगर के परिवारो के बालको हेतु विद्यालय स्वीकृत कियागया।

इस क्रम में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के सचिव के पत्र क्रमांक एफ 46 आवंटन (पूर्व) 2019/1087 दिनांक 17.10.2019 में प्रपत्र संख्या के बिन्दुओं की सक्षम अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्राधिकरण में प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत भवन निर्माण व इस संस्थान पर आज तक तीन कक्षा–कक्ष, प्रधानाध्यापक, कक्ष राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम हेतु रसोई का निर्माण तथा छात्र–छात्राओं हेतु पृथक–पृथक शौचालय निर्मित होने के साथ पेयजल सुविधा के अन्तर्गत टांका बना हआ है। चार दिवारी भी निर्मित है। इस प्रकार 15.00 लाख के कार्य के निर्माण हो चुका है। विद्यालय के विस्तार एवं शिक्षण के उन्नयन हेतु भूमि आवंटन की अति आवश्यकता है। विद्यालय हेतु चाही गई भूमि का कब्जा सत्र् 2006–07 से आज तक चाही गई भूमि का कब्जा सत्र् 2006–07 से आज तक निर्बध है जो ग्राम खारड़ा रणधीर के खसरा सं. 107 गै. मु. गोचर भूमि है। तथा शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार की सम्पति के अन्तर्गत आती है। भूमि राज्य सरकार की उपक्रम को आवंटित की जाती है भूमि आवंटन हेतु निर्देशानुसार प्रोजेक्ट की प्रति विभागीय अग्रीम कार्य हेतु संलग्न है।

Byadav

प्रधानाध्यापक
रा. प्रा. विद्यालय, मरूधर नगर
(खारड़ा रणधीर) प.स. लूनी-जोधपुर

नक्शा किश्तवार

मौजा - खारड़ा रणधीर

त० - जोधपुर

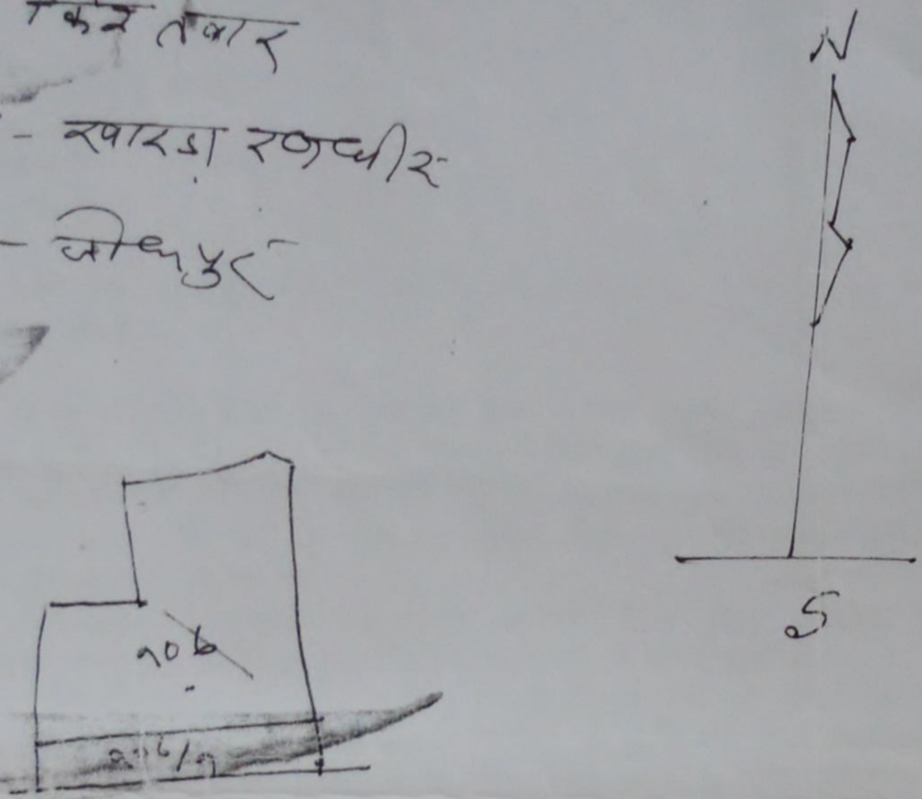

829 दिनांक 13/12/19

पटवारी (भू अ०)

पटवार मण्डल फिटकासनी

जोधपुर विकास प्राधिकरण,जोधपुर

(51)

रेल्वे अस्पताल के सामने रातानाडा,जोधपुर –342004

email-jdanic-jod-rj@nic.in web side- jodhpurjda.org phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax No 0291-2612086

कमांकः–एफ–46 / आवंटन(पूर्व) / 2019 / दिनांकः–

प्रधानाध्यापक
राजकीय प्राथमिक विद्यालय
मरूधर नगर (खारड़ा रणधीर),
ग्राम पंचायत फिटकासनी
पं.सं. लूणी, जिला जोधपुर

विषयः– निर्मित एंव संचालित राजकीय प्राथमिक विद्यालय मरूधर नगर, खारडा रणधीर के लिए भूमि आवंटन बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संयोजक ग्राम पंचायत स्तरीय विकास एवं संघर्ष समिति फिटकासनी पं. सं. लूणी जोधपुर एवं अध्यक्ष श्रम विकास समिति द्वारा अभ्यावेदन श्रीमान महेन्द्र विश्नोई माननीय विधायक महोदय लूणी को पेश करने पर माननीय विधायक द्वारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय मरूधर नगर खारडा रणधीर पं.सं. लूणी के भवन हेतु खसरा सख्या 107 गै.मु. गोचर भूमि में 100 X 80 फीट भूमि आवंटन की अनुशंषा की गई है।

आवंटन नीति–2015 के नियमों के अंतर्गत आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी शिक्षा विभाग (विभागाध्यक्ष) के द्वारा प्राप्त होने पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जानी होती है।

अतः आवंटन नीति–2015 के तहत आवेदन निर्धारित 'प्रपत्र–स' में किया जाना है। जिसकी छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है। 'प्रपत्र–स' के समस्त बिन्दुओं की पूर्ति कर जिला शिक्षा अधिकारी शिक्षा विभाग जोधपुर के माध्यम से प्राधिकरण कार्यालय को प्रेषित किया जाना है ताकि प्राधिकरण स्तर पर भूमि आवंटन की अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

संलग्नः– 'प्रपत्र–स'

sd-
(हरभान मीणा)
सचिव

कमांकः–एफ–46 / आवंटन(पूर्व) / 2019 / 1088 – 1091 दिनांकः– 17/12/19

प्रतिलिपीः– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. श्रीमान् महेन्द्र विश्नोई माननीय विधायक महोदय–लूणी, जोधपुर के अर्द्ध. शास. पत्र दिनांक 09.10.2019 के कम में पता– रामभवन, 5, रातानाडा विस्तार योजना, जोधपुर।
2. वरिष्ठ निजी सहायक (आयुक्त) महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
3. श्री जेठूसिंह राठौड़, संयोजक, ग्राम पंचायत स्तरीय विकास एवं संघर्ष समिति, ग्राम विकास समिति, खारडा रणधीर, ग्राम पंचायत फिटकासनी, पं.सं. लूणी, जोधपुर।
4. श्री संग्राम सिंह विश्नोई, सरपंच, ग्राम पंचायत फिटकासनी, पं.स. लूणी, जोधपुर।

17/12/19
सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

कार्यालय प्रधानाचार्य एवं पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी ग्राम पंचायत फिटकासनी रसीदा

ग्राम पंचायत का नाम :- फिटकासनी अधीन कुल विद्यालयों की संख्या :- 9.

क.स.	विद्यालय का नाम	विद्यालय भवन हेतु भूमि उपलब्धता हाँ / नहीं	यदि हां तो भूमि से सम्बन्धित आवश्यक दस्तावेजों का विवरण यथा पट्टा / रजिस्ट्री / जमाबन्दी	यदि नहीं तो भूमि आंवटन हेतु की गई कार्यवाही का विवरण
1	रा. उ. मा. वि. फिटकासनी	हाँ	पट्टा	-
2.	रा. उ. प्रा. वि. बिडालेनी	हाँ	नहीं (गोचर भूमि)	प्रस्ताव बनाकर दिया गया है।
3.	रा. उ. प्रा. वि. आचियों की ढाणी	हाँ	जमाबन्दी	-
4.	रा. प्रा. वि. गजेश्वर लेलनी	हाँ	जमाबन्दी	-
5.	रा. प्रा. वि. गहलोत नगर	हाँ	नहीं (गोचर भूमि)	प्रस्ताव बनाकर दिया गया है।
6.	रा. प्रा. वि. सोली	हाँ	जमाबन्दी	—
7.	रा. प्रा. वि. फिटकासनी	हाँ	जमाबन्दी	—
8.	रा. प्रा. वि. जिया बाबल की ढाणी	हाँ	जमाबन्दी	—
9.	रा. प्रा. वि. नेकली नाडी	हाँ	गोचर (नहीं)	ग्राम पंचायत स्तर पर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

नोट :- विद्यालय भवन हेतु भूमि आंवटित नहीं होने की स्थिति में भूमि आवंटन हेतु प्रस्ताव के लिए निम्न आवश्यक दस्तावेज फाइल में संलग्न कर सीवीईओ कार्यालय को प्रस्तुत आगामी 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें।

आवश्यक दस्तावेजों का विवरण :-

1. प्रधानाध्यापक द्वारा भूमि आंवटन हेतु मांग पत्र उपखण्ड अधिकारी / आयुक्त जोधपुर विकास प्राधिकरण
2. निर्धारित आवेदन प्रपत्र स (सरकारी विभाग / संस्थाओं हेतु भूमि आंबटन प्रार्थना पत्र) एवं परिशिष्ट 1
3. ग्राम पंचायत प्रस्ताव एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र।
4. जिसके खसरे से भूमि आंवटित करवाई जानी उसकी जमाबन्दी, नजरी नक्शा एवं पटवारी रिपोर्ट।

304
14.10.2

हस्ताक्षर मय मोहर प्रधानाचार्य
रा. उ. मा. विद्यालय
फिटकासनी (जोधपुर)

Scanned with OKEN Scanner